

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/55/2012-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 4 जुलाई, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं हरियाणा सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री मोना श्रीनिवास, भा.प्र.से. (हरियाणा:06) की हरियाणा संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नीति को शिथिल करते हुए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)